न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी:	संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:	09/2021
दायर दिनांक:	10.08.2021
निर्णय दिनांक:	19.07.2022

उनवान

रामकिशन पुत्र कल्याणसहाय जाति बैरवा निवासी ग्राम बरखेडा तहसील दौसा जिला दौसा राज0 हाल निवासी त्रिलोकपुरी, मयूरविहार फेज–1 पूर्वी दिल्ली।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।
2. किशनलाल पुत्र गंगाधर जाति बैरवा निवासी ग्राम बरखेडा तहसील व जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 06.12.1978 विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत खैरवाल तहसील दौसा जिला दौसा।</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से नामान्तरकरण संख्या 144 ग्राम खैरवाल निर्णय दिनांक 06.12.1978 सरपंच ग्राम पंचायत खैरवाल के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 176 वाके ग्राम बरखेडा तहसील दौसा में स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 611 बने, जिसके पूर्व खातेदार अपीलान्ट के पिता कल्याणसहाय थे। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें अपीलान्ट का नाम रामकिशन के स्थान पर रामनिवास अंकित करते हुए खोल दिया गया जबकि अपीलान्ट का सही एवं वास्तविक नाम रामकिशन बैरवा है। अपीलान्ट के आधार कार्ड, कक्षा दसवीं की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, सर्विस आई.डी. में अपीलान्ट का नाम रामकिशन बैरवा अंकित है। अपीलान्ट को अपने गलत नाम खुले नामान्तरकरण की जानकारी का पूर्व में कोई ज्ञान नहीं हो सका। अपीलान्ट द्वारा कुछ दिनों पूर्व राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर उक्त गलत नाम के नामान्तरकरण की जानकारी हुई जि[illegible] नकल दिनांक 29.07.2021 को प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मि[illegible] अपील पेश की जा रही है। यदि फिर भी अपील पेश करने में [illegible] मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है जिस[illegible] प्रार्थना–पत्र [illegible] किया जा रहा है। अतः अपील [illegible] ग्राम पंचायत खैरवा[illegible] नामान्तरकरण संख्या 144 आदेश दिनांक 06.12.1978 निरस्त करने तथा उसके स्थान पर अपीलान्ट के सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम रामकिशन बैरवा के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:43:16 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....2...

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट्स की तामील हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि यदि उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम दुरूस्त करते हुए रामकिशन बैरवा दर्ज किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही होगी क्योंकि उक्त अपीलान्ट का सही एवं वास्तविक नाम रामकिशन बैरवा ही है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलान्ट की ओर से अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 144 आदेश दिनांक 06.12.1978 को खारिज कर रिमाण्ड करने का अनुरोध किया। बहस के दौरान यह अवगत कराया गया कि नामान्तरकरण संख्या 144 में अंकित अपीलान्ट के भाई ने अपने हिस्से की जमीन रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 को बेच दी है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 की ओर से श्री पंकज कुमार शर्मा अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि अपीलान्ट का सही नाम रामकिशन है तथा नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 06.12.1978 ग्राम बरखेडा को रिमाण्ड किये जाने हेतु सहमति दी।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट के आधार कार्ड, कक्षा दसवीं की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, सर्विस आई.डी. में अपीलान्ट का नाम रामकिशन बैरवा अंकित है। नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम गलत अंकित होने के कारण उसको सही रूप में दर्ज करने में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की ओर से सहमति दी गई है। अतः नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 06.12.1978 ग्राम बरखेडा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 06.12.1978 ग्राम बरखेडा को अपीलान्ट के हिस्से तक निरस्त किया जाकर इस आशय के साथ रिमाण्ड़ किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उक्त नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 06.12.1978 को रिमाण्ड करने में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

(संजय कुमार गोरा)
[illegible] अधिकारी, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:43:16 IST
Reason: SelfAttested